

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाबदा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-शकुन्तला(आर.ए.एस.)

कुन्दन सिंह आदि बनाम मनोहर सिंह वगैरे

दावा बाबत खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :-62/2020

निर्णय


निर्णय दिनांक :-22.02.2021

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम खोहरी पटवार हल्का भूदा का बास के भूमि खाता संख्या 60 ख.न. 162 रकबा 1.04 है0, ख.न. 163 रकबा 0.05 है0, ख.न. 164 रकबा 0.03 है0, ख.न. 165 रकबा 0.93 है0, ख.न. 349 रकबा 2.52 है0, ख.न. 350 रकबा 7.13 है0, ख.न. 388 रकबा 4.32 है0, ख.न. 389 रकबा 2.11 है0 व ख.न. 390 रकबा 2.21 है0 कुल कित्ता 09 रकबा 20.34 है0 भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काशत के अनुसार विधिवत् विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में न्यायालय में पेश करे।

.निज,, - - मुबलिक- - दाबन, - खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद बशरह- फसीदी आज की तारीख से तारीख तक-
..... को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत हैं मुहर अदालत से आज तारीख 22 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।




शकुन्तला चौधरी
(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर
मलसीसर